पत्रांक–02ब०/ना०नि०–02–04/2017 4587 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।

कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक– 13/7/17

विषयः– शहरी क्षेत्रों में जल–जमाव एवं बाढ़ की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक तैयारियों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शहरी क्षेत्रों में जल निकासी अथवा आउट फॉल का बेहतर प्रबंध नहीं होने एवं बरसात के दिनों में भारी बारिश होने के उपरांत जल–जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है तथा नदी किनारे स्थित शहरी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है।

ऐसी परिस्थितियों में निम्नांकित कार्य आवश्यक है :–

➢ **बाढ़ अथवा जल–जमाव के पूर्व की तैयारियाँ :–**

(i) नगर निकाय क्षेत्र की सभी छोटी–बड़ी नालियों का सफाई करना।

(ii) बाढ़/जल–जमाव की आशंका वाले क्षेत्रों/मोहल्लों को चिह्नित कर सूचीबद्ध करना।

(iii) बाढ़/जल–जमाव से प्रभावित होने वाले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानों को चिह्नित करना।

(iv) मोटर/पम्प/ट्रांसफॉर्म/ट्रैक्टर/कीपर को दुरूस्त करना अथवा चलायमान स्थिति में रखना।

(v) मोटर/पम्प/ट्रांसफॉर्म/ट्रैक्टर/कीपर आदि उपकरणों के मरम्मति हेतु वर्कशॉप की स्थापना अथवा निजि वर्कशॉप/मरम्मतिकर्ताओं को चिह्नित कर सूचीबद्ध करना।

(vi) गोताखोर गैंग को चिह्नित कर सम्पर्क में रखना।

(vii) विभिन्न सड़कों तथा गलियों में अवस्थित कैचपिट का मरम्मति एवं खुले नालों को ढ़कना।

(viii) नगर निकाय के अधीन सभी ड्रेनेज/सिवरेज पम्पिंग स्टेशनों को चलायमान स्थिति में रखना।

(ix) बाढ़/जल–जमाव से विस्थापित व्यक्तियों के अस्थायी पुनर्वास हेतु स्थल चिह्नित करना।

(x) बाढ़/जल–जमाव प्रभावित क्षेत्रों से जल निकासी हेतु पोर्टेबल डीजल पम्प सेटों की व्यवस्था करना अथवा वैसी निजि संस्थानों जो पोर्टेबल डिजल पम्प सेट उपलब्ध कराते हो, को सूचीबद्ध कर सम्पर्क में रखना।

(xi) पाईप लाईन/सीवर लाईन/खुला नाला पर से अवैध अतिक्रमण हटाना।

(xii) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों अथवा बाढ़ की सूचना आमजन तक पहुँचाने हेतु व्यवस्था करना।

(xiii) भारी बारिश अथवा बाढ़ की स्थिति में किसी अप्रिय घटना से बचने हेतु एवं छोटे बड़े सभी नालों के सतत् निगरानी हेतु गश्ती दल का गठन करना।

(xiv) बाढ़/जल–जमाव से संबंधित आवश्यक अन्यान्य कार्यों की तैयारियाँ।

(xv) बाढ़/जल–जमाव की समस्या के समाधान हेतु एक सम्पर्क नम्बर प्रचारित करना, जिसके द्वारा आम जनता विभिन्न क्षेत्रों में जल–जमाव की सूचना कार्यालय को उपलब्ध करा सके।

➢ **<u>बाढ़ अथवा जल–जमाव के समय की कार्रवाई</u> :–**

(i) बाढ़/जल–जमाव के समय जल निकासी हेतु आवश्यकतानुसार डीजल पम्प सेट का उपयोग करना।

(ii) आवश्यकतानुसार कच्ची नालियों का निर्माण करना।

(iii) चोक/जाम नालों का सफाई करना।

(iv) जल निकासी का सतत् अनुश्रवण करना तथा जल निकासी में आ रही बाधाओं को दूर करना।

(v) बाढ़/जल–जमाव से प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना अथवा पुनर्वास की व्यवस्था करना।

(vi) बाढ़/जल–जमाव से प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की सुदृढ़ व्यवस्था करना।

(vii) आवश्यकतानुसार निकाय में कार्यरत सभी कर्मियों की छुट्टियाँ रद्द करते हुए उन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतत् अनुश्रवण हेतु पदस्थापित करना।

स्थिति

➢ **बाढ़ अथवा जल–जमाव के बाद की कार्रवाई :–**

(i) बाढ़/जल–जमाव प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी के उपरांत ब्लीचिंग पॉउडर का छिड़काव करना।

(ii) बाढ़/जल–जमाव प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी के उपरांत सफाई व्यवस्था कायम रखना तथा युद्ध स्तर पर बाढ़/जल–जमाव से उत्पन्न कचड़ा का निष्पादन करना।

(iii) बाढ़/जल–जमाव के कारणों को चिह्नित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करना ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं में कमी लाया जा सके।

प्रत्येक वर्ष ससमय उपर्युक्त कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

12/7/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02ब०/ना०नि०–02–04/2017 4587/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 12/7/17

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

12/7/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02ब०/ना०नि०–02–04/2017 4587/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 12/7/17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/प्रबंध निदेशक, बुडको को सूचनार्थ प्रेषित।

12/7/2017

सरकार के प्रधान सचिव।